भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2957

दिनांक 13.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पासपोर्ट/वीज़ा सेवाओं के शुल्क में वृद्धि

2957 श्री पी.पी. सुनीर:

क्या ***विदेश*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क्या सरकार पहले से तनावपूर्ण खाड़ी क्षेत्र में प्रवासी भारतीयों के रोजगार छूटने/भारत लौटने संबंधी समस्याओं के मद्देनजर खाड़ी देशों में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों द्वारा प्रदान की जाने वाली पासपोर्ट/वीज़ा सेवाओं और अन्य कांसुलर सेवाओं के लिए हाल ही में की गई शुल्क वृद्धि को वापस लेने पर विचार करेगी?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं के प्रावधान की लागत, परिचालन संबंधी आवश्यकताओं और सेवा वितरण में सुधार की व्यापक समीक्षा के बाद समय–समय पर पासपोर्ट शुल्क में संशोधन किया जाता है। इस प्रकार 1971, 1980, 1993, 2002 और 2012 में और अब 2026 में पासपोर्ट शुल्क में संशोधन किया गया है। पासपोर्ट सेवाओं में सुधार के लिए अनेक पहल की गई हैं, जिनमें उन्नत पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) संस्करण 2.0 और ई–पासपोर्ट का कार्यान्वयन शामिल है, जिससे पासपोर्ट सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि हुई है। पिछले अनेक वर्षों के दौरान सेवा वितरण की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इस प्रकार 14 वर्षों के अंतराल के बाद पासपोर्ट शुल्क में संशोधन की आवश्यकता है।

पासपोर्ट शुल्क में नवीनतम वृद्धि 67% है, जो 14 वर्षों के बाद हुई है। संदर्भ प्रयोजनों के लिए, इसे 1971 में 4 वर्षों में 67% ; 1980 में 9 वर्षों में 100%; 1993 में 13 वर्षों में 500%; 2002 में 9 वर्षों में 233% और 2012 में 10 वर्षों में 50% तक बढ़ाया गया था।
